

राजस्थान सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर
सावित्री चौराहा, अशोक मार्ग, अजमेर, 305001, (राजस्थान)

क्रमांक:प.1/प्रति-2/चिकि./अध्य.अव./अनापत्ति/2020/
आदेश

दिनांक:-

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 10 (30)आयु./2020 दिनांक 28.9.2020 की अनुपालना में निम्नांकित चिकित्साधिकारियों को वर्ष 2020 में एम.डी.पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निम्नांकित शर्तों के अध्यक्षीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1-राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जायेगा।

2-सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।

क्र. सं.	नाम चिकित्साधिकारी	पदस्थापन स्थान	चिकित्सक पद पर कार्यारम्भ दिनांक	चिकित्सक पद पर नियुक्ति का माध्यम
1	डॉ श्रीमती श्वेता जैन	राजकीय आयुर्वेद औषधालय आवा-टोंक	28.9.2015	28.9.2018 तीन वर्ष पूर्ण
2	डॉ डॉ प्रमोद कुमार बैरवा	राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय निर्मोला-टोंक	11.4.2012	11.4.2015 तीन वर्ष पूर्ण
3	डॉ आनन्द प्रकाश	राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय डारडा तुर्की-टोंक	09.4.2012	08.4.2015 तीन वर्ष पूर्ण
4	डॉ जय श्री शर्मा	राज.आयु.औ.बशीर-हनुमानगढ	08.1.2013	07.1.2015 तीन वर्ष पूर्ण
5	डॉ मोनिका गोदारा	राज. आयु.चिकि.आसलपुर-जयपुर ब	05.4.2012	04.4.2015
6	डॉ महेन्द्र कुमार जाजरीया	राजकीय आयुर्वेद औषधालय मण्डफिया-चित्तोड़गढ	26.8.2015	26.8.2018 तीन वर्ष पूर्ण
7	डॉ यशवन्त परमार	राजकीय आयुर्वेद औषधालय भादसौडा-चित्तोड़गढ	28.9.2015	28.9.2018 तीन वर्ष पूर्ण
8	डॉ ऋतुरा शर्मा	राजकीय आयुर्वेद औषधालय मांगरोल-चित्तोड़गढ	04.2.2013	04.2.2017 तीन वर्ष पूर्ण
9	डॉ सन्तोष पंवार	राजकीय आयुर्वेद औषधालय पी.एच. सीभैसरोड़गढ-चित्तोड़गढ	29.10.2015	28.10.2018 तीन वर्ष पूर्ण

1)
(सीमा शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:प.1/प्रति-2/चिकि./अध्य.अव./अनापत्ति/2020/13360

दिनांक:- 30.09.2020

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित है:-

1-उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प. 10 (30)आयु./2020 दिनांक 28.9.2020 के संदर्भ में।

2- अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग संभाग-अजमेर/उदयपुर/बीकानेर/जयपुर (राजस्थान)

4- उप निदेशक आयुर्वेद विभाग जिला टोंक/हनुमानगढ/जयपुर ब/चित्तोड़गढ (राजस्थान) को देकर निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 01 व 02 में अंकित शर्तों की पूर्ण रूप से पालना सुनिश्चित करावे।संबन्धित को चयन होने के उपरान्त सम्बन्धित संकाय का उल्लेख करते हुए कार्यमुक्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर विभागाध्यक्ष द्वारा शासन से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही सम्बन्धित को कार्यमुक्त किया जाये।

6-प्रोग्रामर आयुर्वेद निदेशालय अजमेर को दी जाकर लेख है कि संबन्धित कार्यालयों को जरीये ई-मेल भिजवाये एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।

7-संबन्धित चिकित्सक क्र.सं. 01 से 09 तक द्वारा उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग राजस्थान।

8-प्रभारी प्रति-1 चिकित्सक निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर।

9-सामान्य पत्रावली।

(आनन्द कुमार शर्मा)
अति.निदेशक(आयु.)